FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

बाबूलाल वगै0 बनाम तहसीलदार लवाण एवं अन्य

किस्म मुकदमा– स्थानान्तरण प्रा0पत्र - नम्बर–– 53 सन्– 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.8.2023	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0 5 की ओर से श्री राजकुमार तिवाडी अधिवक्ता द्वारा पावर पेश की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि भोंरया पुत्र मूल्या व भोंरीलाल पुत्र चंदा अलग–2 नाम के व्यक्ति है। प्रश्नगत भूमि का आवंटन भोंरया पुत्र मूल्या के नाम दिनांक 9.7.1963 को किया गया है। भोंरया पुत्र मूल्या भूमि आवंटन होने के कुछ समय पश्चात गांव छोडकर कहीं चला गया जिसका कोई अता पता नहीं है। अप्रार्थी नं. 4 लगा. 6 फर्जी तरीके से भोंरीलाल पुत्र चंदा के वारिस होने के बावजूद भी भोंरीलाल पुत्र मूल्या के फर्जी वारिस बनकर अपने नाम नामान्तरण खुलवाना चाहते है। पटवारी हल्का मांडेडा सुनारपुरा एवं भू अभिलेख निरीक्षक रजवास के द्वारा फर्जी तरीके से भोंरया पुत्र चंदा व भोंरया पुत्र मूल्या को एक ही व्यक्ति बताकर फर्जी रिपोर्ट पेश कर दी जिसके आधार पर बिना कोई जांच किये व बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये भोंरया पुत्र मूल्या की विरासत का नामान्तरण भोंरीलाल पुत्र चंदा के वारिसान के नाम तस्दीक करने पर आमादा हो रहे है, जिसे रूकवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को धारा 135(2) एल0आर0एक्ट के तहत दर्ज करवाकर बाद जांच व प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने के आदेश फरमावें। अप्रार्थी सं0 5 ने बहस में कथन किया कि श्री नवलकिशोर शर्मा, तहसीलदार लवाण का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। वर्तमान में तहसीलदार लवाण के पद पर श्री नवलकिशोर शर्मा, कार्यरत नहीं होकर अन्य अधिकारी कार्यरत है। जिस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विचाराधीन रखे जाने का कोई औचत्य नहीं रह गया है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। राजकीय अधिवक्ता ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जिस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध यह स्थानान्तरण प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। स्थानान्तरण प्रा.पत्र विचाराधीन रखे जाने का अब कोई औचित्य नहीं रहा गया है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार लवाण को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रश्नगत नामान्तरण को तस्दीक किये जाने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया जावे। आदेशिका की प्रति तहसीलदार लवाण को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	